न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.80 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 129)	20.08.2024	11.08.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी गणेशपुरा, तहसील तालेडा
   (मृतक जर्ये कायम मुकामान) :–

1/1. जमना पुत्री गोपाल जाति भील नि0 गणेशपुरा, तह. तालेडा
1/2. कालीबाई पुत्री गोपाल जाति भील नि0 गणेशपुरा, तह. तालेडा
1/3. सांवलीबाई पत्नी गोपाल जाति भील नि. गणेशपुरा, तह. तालेडा

2. ज्याना पत्नी खेमा जाति भील नि0 गणेशपुरा, तहसील तालेडा
3. तुलसी पुत्री खेमा जाति भील नि0 गणेशपुरा, तहसील तालेडा
4. रतनी पुत्री खेमा जाति भील नि0 गणेशपुरा, तहसील तालेडा
5. भैरीबाई पुत्री रामचन्द्र भील नि0 गणेशपुरा **(मृतक नाम विलोपित)**
6. मंजूबाई पत्नी सूरजमल जाति भील नि0 गणेशपुरा, तहसील तालेडा
7. मोतीलाल पुत्र सूरजमल जाति भील नि0 गणेशपुरा, तहसील तालेडा
8. राजू पुत्र सूरजमल जाति भील नि0 गणेशपुरा, तहसील तालेडा
9. सुगनाबाई पुत्री सूरजमल जाति भील नि0 गणेशपुरा, तह. तालेडा
10. चौथमल पुत्र सूरजमल जाति भील नि0 गणेशपुरा, तहसील तालेडा
    नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मंजूबाई नि0 गणेशपुरा तह. तालेडा
11. हंसराज पुत्र सूरजमल जाति भील नि0 गणेशपुरा, तहसील तालेडा
    नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मंजूबाई नि0 गणेशपुरा तह. तालेडा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी रामचन्द्र वल्द खाना को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 140 रकबा 0.0324 हैक्टेयर वाकेग्राम गणेशपुरा आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 80/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/129 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री साबिर मोहम्मद द्वारा दिनांक 24.09.2024 को आगामी पेशी पर वकालतनामा पेश किये जाने बाबत अंडरटेकिंग दी गई। दिनांक 14.07.2025 को अप्रार्थीगण या उनकी ओर कोई अधिवक्ता के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि में छोटे पत्थर पडे हुये है। इस प्रकार आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि रामचन्द्र वल्द खाना कौम भील निवासी गणेशपुरा को दिनांक 25.10.1977 को भूमि खसरा सं. 143 रकबा 17 बिस्वा, 140 रकबा 04 बिस्वा एवं 143 रकबा 17 बिस्वा वाकेग्राम गणेशपुरा का आवंटन किया गया था। ग्राम गणेशपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 0.0324 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी तथा उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है"

जिला कलेक्टर, बून्दी

अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध संयुक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी, आईएलआर एव नायब तहसीलदार डाबी अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी के वारिसानों का कब्जा काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पर छोटे पत्थर पड़े हुये है। जिससे कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित उक्त भूमि पर गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं होना प्रमाणित होता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला अभिलेखगार से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली में केवलमात्र एक पृष्ठ ''आवंटन आदेश'' है। पत्रावली आवंटन के बाद आवंटी को कब्जा दिये जाने बाबत दखलनामा उपलब्ध नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने, भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाकर पत्थर का स्टाक पड़ा हुआ होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रामचन्द्र वल्द खाना कौम भील निवासी गणेशपुरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 140 रकबा 0.0324 हैक्टेयर वाकेग्राम गणेशपुरा दिनांक 25.10.1977 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 11.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी